राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–46 / 2024
जीसीएमएस नं.–2024 / 239

दायर दिनांक :–19.02.2024
निर्णय दिनांक :–11.02.2026

1. श्री जीवा पुत्र स्व. धुला कटारा, निवासी फला डीमीया, माण्डवा,तहसील दोवडा, जिला–डूंगरपुर
2. श्री जालमा पुत्र स्व. धुला कटारा, निवासी फला डीमीया, माण्डवा, तहसील दोवडा जिला–डूंगरपुर
3. श्री हाजा पुत्र स्व. धुला कटारा, निवासी फला डीमीया, माण्डवा, तहसील दोवडा, जिला डूंगरपुर
4. श्री मनोज पुत्र हरजी भील, निवासी फला डीमीया, माण्डवा, तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सोहन पुत्र हलिया भील, निवासी फला डीमीया, माण्डवा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती माया पत्नी सोहन भील, निवासी फला डीमीया, माण्डवा, तहसील दोवडा, जिला डूंगरपुर
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थित :–
1. श्री प्रवीण शुक्ला, वकील प्रार्थीगण
2. श्री अब्दुल सलाम गौरी, विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत्

–:: निर्णय::–

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1 व 2 डीमीया फला ग्राम माण्डवा तहसील दोवडा के निवासी होकर अ.ज.जा. के सदस्य है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को चक माण्डवा–II के बिलानाम खसरा संख्या 710 में 0.58 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हेतु जरिए मिसल नम्बर 231 फैसल दिनांक 09.06.2018 को केम्प चक माण्डवा II मे किया गया। आवेदकगण / विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा आवेदन पत्र प्रारूप–3 के न तो समस्त कॉलमों की पूर्ति ही की गई है एवं न ही इसमें वांछित सूचनाओं का ही सही–सही अंकन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित कॉलमों में वांछित सूचना अर्थात् अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम पूर्व में धारित भूमि का अंकन नहीं करते हुए तथ्यों को छुपाया गया हैं बिन्दु संख्या 3 व 4 में पूर्ण विवरण अंकित नही किया है प्रार्थना पत्र किस स्थल पर किस दिनांक को तैयार किया जाकर आवंटन अधिकारी को कब व कैसे प्रस्तुत किया गया। इस बाबत् स्थान व दिनांक अंकित नहीं की है। विपक्षीगण संख्या अपने प्रार्थना पत्र के सत्यापन में भी विवरण अंकित नही किया है एवं न ही दिनांक अंकित की है। इस प्रकार विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का आवेदन पत्र नियमों के अनुसार पूर्ण नही होकर इसमें तथ्यों को छिपाया गया है, जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि जंगल राजधानी की भूमि है जिस पर डूंगरपुर राज्य के तत्कालिन शासक महारावल साहब द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत् प्रार्थी संख्या 1 वर्ष 1957 से मौके पर काबिज काश्त है। इस भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 को पुराने मकान बने हुए है तथा इन मकानों में बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है एवं पेयजल तथा कृषि सुविधा हेतु दोनों के पृथक–पृथक ट्युबवेल भी स्थापित है। प्रार्थी संख्या 1 श्री जीवा के पुत्र सर्व श्री अशोक, शांतीलाल, मुकेश एवं गोविन्द तीनों के केलुपोश मकान, इन्द्रा आवास में स्वीकृत मकान भी बने हुए है, जिसमें बिजली कनेक्शन है तथा ट्युबवेल भी हैं इस प्रकार विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटित उक्त भूमि में प्रार्थीगण व परिवार के मकानात 5 बने हुए है। आवंटित भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण व उसके परिवार

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

का भौतिक रूपेण कब्जा–काश्त होकर मकान बने हो परिवार सहित निवासरत है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के भूमि आवंटन के समय आवंटित भूमि अन–ऑक्यूपाईड खाली भूमि नही होकर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटन हेतु उपलब्ध नही थी। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा इसी वर्ष माह जुलाई के अंत में एवं अगस्त 2023 में आकर प्रार्थीगण तथा परिवार के सदस्यों को मौके पर से बाड, मकानात व ट्यूबवेल हटा भूमि छोड कर चले जाने हेतु धमकीयां देना प्रारंभ करने से प्रार्थीगण द्वारा रेकार्ड से जानकारी करने पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के कागजों में हुए विधि विरूद्ध आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को हुई। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को भूमि का आवंटन सशर्त सशुल्क किया गया है किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को न तो मौके पर कभी भी भौतिक रूपेण कब्जा सुपुर्द किया गया है एवं न ही विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की ही पालना की गई है।विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपने स्वयं के नाम पूर्व से धारित भूमि का ही अंकन किया है, न ही उसे कही दर्शित ही किया है तथा हल्का पटवारी द्वारा भी इस बाबत कोई उल्लेख ही किया है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में होकर अन्य भूमि आवंटन के पात्र है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा न तो भूमि पर पूर्व के कब्जे बाबत् विवरण अंकित किया है एवं न ही हल्का पटवारी अथवा गिरदावर या आवंटन कमेटी द्वारा ही मौका निरीक्षण किया गया है, जिससे मौके पर प्रार्थीगण एवं उसके परिवार के पुराने कब्जे काश्त बाबत् उन्हें जानकारी प्राप्त नही हुई एवं भूमि को अन–ऑक्यूपाईड तथा आवंटन योग्य भूमि मानते हुए आवंटन करने में भारी भूल की है। विपक्षीगण संख्या 1 श्री सोहन श्री हलिया के यहां गोदपुत्र रहा है, जिससे श्री हलिया द्वारा धारित सभी भूमि एवं संपति आवंटी श्री सोहन के नाम पर आई है, किन्तु उसका कोई वर्णन न तो आवंटी श्री सोहन द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है एवं न ही पटवारी हल्का द्वारा इसका अंकन अपनी जांच रिपोर्ट में किया गया है। आवंटी श्री सोहन पुत्र हलिया के नाम अन्य भूमि भी होना तथा इसी प्रकार अन्य भूमि आवंटित करवाना संभव होकर विपक्षीगण/आवंटीगण के पास अधिक भूमि होकर आवंटन नियमों के विपरीत हो आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षीगण द्वारा बार–बार भूमि का आंवटन कराया है तथा आवंटन के आवेदन पत्र मे उसको पूर्व मे हुए आवंटन को छिपाया है। एक ही व्यक्ति को बार–बार भूमि का आवंटन किया जाए यह विधान की मंशा नही है बल्कि राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम का उद्देश्य है कि ग्राम का कोई काश्तकार भूमि से वंचित नहीं रहे ।विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है, भूमि को काश्त में नही लाई गई है एवं न ही मौके पर काबिज हुआ है। चूंकि मौके पर प्रार्थीगण का भौतिक कब्जा होने से विपक्षीगण/ आवंटीगण के लिये भौतिक रूपेण, कब्जा प्राप्त करना एवं आवंटन शर्तो की पालना करना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम चक माण्डवा–द्वितीय के तत्कालिन खसरा संख्या 710 में विपक्षीगण संख्या 1 से 2 के नाम किया गया कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन रकबा 0.58 हेक्टेयर जिसका बटा नम्बर 991/710 कायम हो वर्तमान खसरा संख्या 1048/691 कायम हुआ है का आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण की संख्या 1 व 2 कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन नियमानुसार किया गया है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने आवेदन पत्र के समस्त कॉलमो की पूर्ति कर वांछित सुचनाएँ भी प्रेषित की गई है। किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा मौके का निरीक्षण कर सभी तथ्यों की जांच कर उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। खसरा नम्बर 1224/691 बिलानाम बहुत बडा रकबा है। आवंटीत भूमि विपक्षीगण के पुश्तैनी खाते की भूमि से सटी हुई है। उक्त आवंटीत भूमि पर प्रार्थीगण या उनके किसी रिश्तेदार या गांव के किसी व्यक्ति का मकान बना हुआ नहीं है। विपक्षीगण के उक्त भूमि की बाउण्ड्री थुअर की बाढ़ लगाकर कर रखी है। मौके पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है। विपक्षीगण को राजस्व अधिकारीयों द्वारा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा विपक्षीगण ही उक्त आवंटीत भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वर्तमान मे भी काबिज है। विपक्षीगण ने अपने बाप दादो के समय से कब्जा होने व पेनाल्टी की रसीदे वगैराह भी राजस्व अधिकारीयों को प्रस्तुत की थी तथा मौके पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का कब्जे का भी निरीक्षण किया गया था। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटीत भूमि पर किसी अन्य ग्रामीण या प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है न वर्तमान में है।विपक्षीगण को कभी पूर्व में कोई आरजी का आवंटन नहीं हुआ है। मौके पर विपक्षीगण का ही कब्जा काश्त है तथा आवंटीत भूमि को थुअर की बाढ लगाकर महदुद कर रखी है साथ ही आवंटन नियमों की पालना भी की जा रही है। विपक्षीगण के गांव माण्डवा–ा में पैतृक कृषि भूमि है जिसमें विपक्षी सोहन की बहिन श्रीमति गंजुला का भी हिस्सा है जिसमें विपक्षी के हिस्से में बहुत कम भूमि आती है तथा मौजा माण्डवा–ा के खाता नम्बर 205 खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि का नियमानुसार आवंटन हुआ है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है। विपक्षी सोहन एवं उसकी पत्नी श्रीमति माया द्वारा शिविर में काफी समय पूर्व

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें पटवारी हल्का ने सम्पूर्ण जांच कर विपक्षीगण की पैतृक सम्पति का भी हवाला दिया हुआ है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मीसल संख्या 248 दिनांक 09.06.2018 को विपक्षीगण को खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश दिनांक 09.06.2018 के अनुसार विपक्षीगण को कब्जा सुपुर्द किया गया। विपक्षीगण को आवंटीत भूमि खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा सुपुर्द करने से पूर्व से विपक्षीगण का ही कब्जा काश्त था एवं आज भी आवंटन के पश्चात विपक्षीगण का ही कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है एवं आज भी विपक्षीगण ही काबिज है। विपक्षीगण संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में मौजा चक माण्डवा–ा में श्री सोहनलाल पिता हलिया एवं माया पत्नि सोहन के नाम से तत्कालीन खसरा नम्बर 710, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि आवंटित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त शुदा है। उक्त सोहन पिता हलिया वगैरा को आवंटन शुदा भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं होकर जीवा पिता धुला वगैरा का कब्जा काश्त था एवं वर्तमान में भी कब्जा होकर जीवा पिता धुला वगैरा खेती कर रहे है। इस भूमि में श्री जीवा पिता धुला वगैरा का ट्यूबवेल भी है। जिससे खेती की सिचाई होती है।

उभयपक्षो की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा राजकीय भूमि के आवंटन आवेदन पत्र प्रारूप–3 में न तो समस्त कॉलमों की पूर्ति ही की गई है एवं न ही इसमें वांछित सूचनाओं का ही सही–सही अंकन किया गया है, आवेदन पत्र में सभी कॉलम खाली है। विपक्षी श्री सोहन पुत्र हलिया के नाम खसरा संख्या 773 में रकबा 0.4000 हेक्टेयर, 774 में रकबा 0.0100 हेक्टयर, 781 में रकबा 0.8700 हेक्टेयर, 780 में रकबा 0.0600 हेक्टेयर, 690 में रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 816 में रकबा 0.1300 हेक्टेयर सहित अन्य भूमि का होना पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी भूमिहिन कृषक की श्रेणी में नही आता है। आवंटन के वक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा था जो आज भी है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही कि है। अतः विपक्षी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है। अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब को दौहराते हुए कथन किया कि मौके पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है एवं वर्तमान मे भी काबिज है। विपक्षीगण ने अपने बाप दादो के समय से कब्जा होने व पेनाल्टी की रसीदे भी प्रस्तुत की है। विपक्षीगण को कभी पूर्व में कोई आराजी का आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन नियमों की पालना भी की जा रही है। विपक्षीगण के गांव माण्डवा–ा में पैतृक कृषि भूमि है जिसमें विपक्षी के हिस्से में बहुत कम भूमि आती है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। विपक्षीगण संख्या 3 तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में मौजा चक माण्डवा–ा में श्री सोहनलाल पिता हलिया एवं माया पत्नि सोहन के नाम से तत्कालीन खसरा नम्बर 710, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि आवंटित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त शुदा है। श्री सोहन पिता हलिया वगैरा को आवंटन शुदा भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं होकर जीवा पिता धुला वगैरा का कब्जा काश्त था एवं वर्तमान में भी कब्जा होकर जीवा पिता धुला वगैरा खेती कर रहे है। इस भूमि में श्री जीवा पिता धुला वगैरा का ट्यूबवेल भी है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत बहस तथा तहसीलदार के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि विपक्षीगण के नाम तत्कालीन खसरा नम्बर 710, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के समय भूमि रिक्त न होकर प्रार्थी का कब्जा काश्त था एवं वर्तमान में भी प्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यो, अभिलेखों एव उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत स्पष्ट होता है कि आवंटन विधि विरूद्व एव नियमों के विपरीत किया गया पाया जाने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नही होने से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चक माण्डवा–ा में विपक्षीगण के नाम से तत्कालीन खसरा नम्बर 710, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1048/691 रकबा 0.58 हेक्टेयर कायम हुआ है का आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालनार्थ हेतु संबंधित को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)